136

20रु. कोर्ट फी COURT FEE भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES

10रु. कोर्ट फी COURT FEE Rs.10 भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES

1 ताबीन प्रकरण 3895/16

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

R 3895-I-16

प्रकरण क्रमांक / 2016 निगरानी

18-11-016

18-11-16

552
18-11-16

1. वसीम खॉ पुत्र श्री अनीस खॉ मुसलमान निवासी ग्राम चाठोली तहसील सिरोंज जिला विदिशा म.प्र.
2. अनीस खां पुत्र हफीज अहमद जाति मुसलमान ,ग्राम चाठोली तहसील सिरोंज जिला विदिशा

.... आवेदकगण

बनाम

1. जमीला बी , विधवा हफीज अमंद आयु 75 साल निवासी ग्राम चाठोली हाल निवासी मकान नं. 8 सोनिया गांधी कालोनी ऐशबाग स्टेडियम , भोपाल
2. नफीस खॉ पुत्र हफीज अहमद आयु 55 साल निवासी ग्राम चाठोली तहसील सिरोंज
3. नईम उर्फ शफीक पुत्र हफीज अहमद , आयु 50 साल निवासी भोपाल
4. फारूख मियां पुत्र हफीज अहमद , आयु 45 साल निवासी भोपाल
5. चांद मिया पुत्र हफीज अहमद आयु 37 साल निवासी भोपाल
6. नसीम बानो , पुत्री हफीज अहमद पत्नी नसीम अहमद , आयु 47 साल निवासी गली नं. 2 मस्जिद मदारूल मुहाम गिन्नौरी भोपाल

7. हसीन बानो पुत्री हफीज अहमद , पत्नी राजा मियां आयु 38 साल निवासी ऐशबाग कालोनी भोपाल म.प्र.

.... अनावेदकगण

निगरानी अंतर्गत धारा 50 (1) म.प्र. भू राजस्व संहिता 1959 न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी सिरोंज विदिशा द्वारा प्रकरण क्रमांक 26/ अपील/2014–15 में आदेश पारित दिनांक 24.10.2016 के विरूद्व निगरानी प्रस्तुत है।

माननीय न्यायालय ,

आवेदकगण की ओर से निगरानी निम्नानुसार प्रस्तुत है :–

1. यहकि, अनावेदकगण द्वारा न्यायालय अतिरिक्त तहसीलदार महोदय मण्डल 4 तहसील सिरोंज प्रकरण क्रमांक 23/अ–6/ 2012–13 आदेश दिनांक 30.04.2013 के विरूद्व अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई अपील के साथ आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 44 (1) म.प्र. भू राजस्व संहिता एवं आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 5 अवधि विधान का प्रस्तुत किया गया।
2. यहकि, आवेदकगण द्वारा दोनो आवेदन पत्रों का जबाब प्रस्तुत किया है। अनावेदकगणों का कोई हित प्रभावित नही हुये है। अधीनस्थ न्यायालय में पक्षकार नही बनाया कि उक्त भूमि से काई संबंध नही है केवल उक्त भूमि से उन्हीं व्यक्तियों को पक्षकार बनाया गया है जिनके नाम भूमि की खाता नकल में अंकित है।
3. यहकि, उक्त भूमि हफीज अहमद की स्व अर्जित सम्पत्ति थी हफीज अहमद ने उक्त भूमि अपने जीवनकाल में आवेदक क्रमांक 1 को हिबा कर कब्जा सौंप दिया था तथा हिबा के आधार पर उक्त भूमि पर आवेदक का नामान्तरण हो चुका है।

136

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-3895-एक/16 **जिला** - विदिशा

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
05-12-18	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री विनोद श्रीवास्तव उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 26-02-19 को कलेक्टर, जिला विदिशा के समक्ष उपस्थित हों। **प्रशासकीय सदस्य**	